

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th June, 2010

No. S.O. 74/H.A. 6/2003/S. 60/2010.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web. 4/H. A. 6/2003/S. 60/2010, dated the 13th May, 2010, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2010.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 47 in sub-rule (1), for the existing table, the following table shall be substituted, namely :—

“Table

Sr. No.	Capacity of Kiln	Category	Lump sum tax payable in lieu of tax for the period 1-10-2009 to 30-09-2010
1	2	3	4
1.	Brick kiln of capacity of more than 33 number of Ghori	+A	Rs. 2,68,800/- plus Rs. 9360/- per additional Ghori above 33 Ghori
2.	Brick kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori	A	Rs. 2,68,800/-
3.	Brick kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori	B	Rs. 2,10,000/-

1	2	3	4
4.	Brick kiln of capacity of below 22 number of Ghori	C	Rs. 1,68,000/-
5.	Brick kiln not fired during the year ending 30th September, 2010 in which stock in and outside the kiln as on 1st October, 2009 last, did not exceed five lakh bricks of all categories	D	Rs. 42,000/-

Note :— If a kiln is designed to be fired at two places, the rate of lump sum payable by the owner of such kiln shall be double of the aforesaid rates.”.

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

97326
LN

EST

Soo Cen

भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2010

संख्या का० आ० 74/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 4/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2010, दिनांक 13 मई, 2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“तालिका

क्रम संख्या:	भट्टे की क्षमता	प्रवर्ग	01-10-2009 से 30-09-2010 तक की अवधि के लिए कर के बदले में भुगतानयोग्य एक मुश्त कर
1.	2.	3.	4.
1.	33 संख्या से अधिक घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	+क	2,68,800/-रुपये जमा 33घोड़ी से ऊपर प्रति अतिरिक्त घोड़ी 9360/- रुपये
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	क	2,68,800/-रुपये
3.	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ख	2,10,000/-रुपये
4.	22 संख्या से कम की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ग	1,68,000/-रुपये

1	2	3	4
5.	30 सितम्बर, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईट भट्टा, जिसमें प्रथम अक्टूबर, 2009 को भट्टे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईंटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।	घ	42,000/-रुपये

टिप्पण :- यदि कोई भट्टा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्टे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर जपरोक्त दरों से दुगनी होगी । ”।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।